

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 08 / 2020
आरसीएमएस नम्बर : 2020/00045

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
1. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत नाना 2. श्रीमती बबीता देवी पत्नी जोधाराम जाति माली, निवासी-नाना, तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम
उपस्थिति -

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 4/3/2021

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी मिसल संख्या 62/99-2000, संकल्प संख्या 4 दिनांक 29.06.1999 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3763 दिनांक 29.06.1999 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत नाणा ने अप्रार्थी संख्या 2 बबीता देवी के पक्ष में राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम 167(1) के तहत पट्टा संख्या 3763 दिनांक 29.06.1999 क्षेत्रफल 450 वर्गमीटर का जारी किया। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 2349 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में जारी किया गया है। जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में शिकायत जिला सतर्कता समिति में दर्ज होने के कारण तहसीलदार बाली द्वारा रास्ते में अतिक्रमण पाये जाने के कारण मौके से अतिक्रमण हटाया गया। इससे स्पष्ट है कि गैर निगरानी विक्रय विलेख गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में जारी किया गया है, ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार है, गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा चार अन्य व्यक्तियों को भी उक्त खसरे में विक्रय विलेख जारी किए हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नाणा ने पंचायती राज नियमों की पालना किए बिना ही अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर संकल्प संख्या 4 दिनांक 29.06.1999 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3763 दिनांक 29.03.1999 को निरस्त फरमाया जावे।


हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में संकल्प संख्या 4 दिनांक 29.06.1999 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3763 दिनांक 29.03.1999 जारी किया गया है। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में ग्राम पंचायत नाना में मात्र विक्रय विलेख ही उपलब्ध है, मूल मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। इसलिए मूल

(Handwritten Signature)

अति. जिला कलेक्टर, पाली


रेकॉर्ड के अभाव में विक्रय विलेख जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं ? इस संबंध में परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। लेकिन हस्तगत निगरानी विकास अधिकारी, बाली ने जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति पाली के समक्ष परिवाद संख्या 67/2019 में दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में पेश की है। इस संबंध में पत्रावली संलग्न उप तहसीलदार नाना/बेडा की मौका फर्द दिनांक 29.08.2019 के अनुसार एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा जरिये पत्रांक सतर्कता/2019/1954 दिनांक 05.12.2019 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा ग्राम पंचायत नाना ने चार अन्य व्यक्तियों को भी खसरा नम्बर 2349 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में पट्टे जारी किये हैं। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख गैर मुमकिन रास्ते की सरकारी भूमि में जारी किए गए हैं, जिसका ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत को मात्र आबादी भूमि में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार है, ग्राम पंचायत सरकारी भूमि में विक्रय विलेख जारी नहीं कर सकती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत नाना का संकल्प संख्या 4 दिनांक 29.06.1999 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3763 दिनांक 29.03.1999 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी मिसल संख्या 62/99-2000, संकल्प संख्या 4 दिनांक 29.06.1999 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3763 दिनांक 29.03.1999 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकॉर्ड ग्राम पंचायत नाना को भिजवाई जावे।




(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 4/3/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली